FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...त सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतु

हमीराराम बनाम लुणाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद 88, 188 RLR प्रकरण नं. 161/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जारवड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/09/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
23/09/2020	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल कुछ तामिल अप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 06/10/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/10/2020	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल कुछ तामिल अप्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 14/10/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested

14/10/2020 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री नरपत मेनन द्वारा वकालातनामा व ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। वादी वकील द्वारा दस्तावेजों की प्रति नकल प्रथम फेहरिस्त पेश की गई। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 व PW-2 के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 व 3 का तर्क लिया गया जिनसे कोई इत्तला नहीं चाही गई। वादी वकील की बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त विवादित आराजी पैतृक साबित होती है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

अनि॰ हमीराम

ओमा

प्रतिवादीगण 2 व 3 तर्क करता है

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) जायल
14.10.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 161/2020

वादीगण

1. हमीराराम पुत्र लुणाराम
2. भागीरथसिंह पुत्र लुणाराम
जाति–मेघवाल, निवासी–हरूपाणी,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादी

1. लुणाराम पुत्र नवलाराम
2. गोरखाराम पुत्र नवलाराम
जाति–मेघवाल, निवासी–हरूपाणी,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
3. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई
कानासर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– **दिनांक 14/10/2020**

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा हरूपाणी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 694/685 रकबा 5.8653 हैक्टेयर व मौजा रतनाली नाडी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 10.7597 हैक्टेयर की आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज नवलाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिंस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को अपने 1/2 हिस्से के सहखातेदार घोषित करने की सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा नवलाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण नवलाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा हरूपाणी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 694/685 रकबा 5.8653 हैक्टेयर व मौजा रतनाली नाडी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 10.7597 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
14.10.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. हमीराराम पुत्र लुणाराम 2. भागीरथसिंह पुत्र लुणाराम जाति–मेघवाल, निवासी–हरूपाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. लुणाराम पुत्र नवलाराम 2. गोरखाराम पुत्र नवलाराम जाति–मेघवाल, निवासी–हरूपाणी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 3. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई कानासर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–161/2020. **निर्णय दिनांक :– 14.10.2020**

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.10.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हरूपाणी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 694/685 रकबा 5.8653 हैक्टेयर व मौजा रतनाली नाडी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 10.7597 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास 14.10.2020

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:40:22 IST
Reason: SelfAttested